



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यगण की कोविड-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण एवं जाँच कराई जाने संबंधी उल्लेख एवं उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में विभागवार चर्चा में भाग लेने विषयक अध्यक्षीय घोषणा

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि कोराना संक्रमण प्रदेश में फिर से बढ़ रहा है. सुश्री विजयलक्ष्मी साधौ सहित सदन के 4 माननीय सदस्यों को कोराना हो गया है. इसलिए जो माननीय सदस्यगण उनके बगल में बैठते हैं उनको भी स्वास्थ्य परीक्षण करवा दें.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो विषय उठाया है, उसके बारे में आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कमल नाथ से चर्चा हुई थी. वे कल 11 बजे भोपाल आ रहे हैं, अगर कोई विशेष स्थिति ऐसी बनती है तो कल आप सबसे बैठकर चर्चा हो जाएगी.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – “जैसे ही माननीय सदस्य एवं सुश्री विजय लक्ष्मी साधौ कोरोना पॉजिटिव हुई थी, मैंने उनसे एवं अन्य प्रभावित माननीय सदस्यों से भी बात की है. अभी रिपोर्ट आई है कि सिंगरौली जिले के एक माननीय विधायक भी पॉजिटिव पाए गए हैं. इसीलिए मैंने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. सभी माननीय सदस्यगण सदन में और कार्यवाही में भाग लेते समय मास्क, सेनेटाइजर का सतत उपयोग करें एवं अपनी जाँच करवा लें”.

मौखिक उल्लेख के तारतम्य में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – “वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक (बजट) पर सामान्य चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा विस्तार से की गई थी तदुपरान्त विभागवार मांगों पर 8 मार्च, 2021 से चर्चा प्रारंभ हुई पिछले दिनों भोजनावकाश स्थगित कर और सायं 5.30 बजे के उपरान्त समय वृद्धि कर कार्यवाही चलाने के बाद भी अभी तक केवल माननीय मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री से संबंधित विभागों की मांगों पर ही चर्चा पूर्ण हो सकी है, अन्य विभागों की मांगों पर चर्चा होना शेष है, कोरोना का प्रकोप पुनः बढ़ने के कारण हाल में कतिपय माननीय सदस्य भी इसके संक्रमण से प्रभावित हुए हैं. अतः इस स्थिति में माननीय सदस्यों की सुरक्षा के साथ विधायी कार्य शीघ्र संपादन के लिए विधायक दलों के मुख्य सचेतकों से अनुरोध है कि कृपया कार्य सूची में शामिल विभागीय मांगों पर चर्चा हेतु सीमित संख्या में ही दोनों पक्षों के सदस्यों के नाम बोलने के लिए दें. माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध है कि इस प्रक्रिया में कृपया सहयोग प्रदान करें, जिससे कि तत्परता से विभागों की मांगों पर चर्चा पूर्ण हो सके तथा उसके उपरान्त विनियोग, अन्य विधेयक और विधि विषयक कार्य पूर्ण किये जा सकें”.

2. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज प्रश्नकाल में केवल पहली बार के विधायकों के प्रश्नों को लिया गया है, लाटरी उनकी ही निकाली गई है. सदस्यों से यह आग्रह है कि बिना भूमिका के सीधा प्रश्न करेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका प्रश्न में लिखी हुई है. मंत्रियों से भी आग्रह है कि पाइंटेड जवाब देंगे जिससे जो प्रथम बार के विधायक हैं उनको एक अवसर मिले. माननीय वरिष्ठ सदस्यों से भी आग्रह है कि जब प्रथम बार का विधायक कोई प्रश्न कर रहा हो तो उसी को प्रश्न पूछने दीजिए, अगल-बगल से उसको सहयोग मत करिए. मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य मेरी भावना से सहमत होंगे. प्रथम बार के विधायक को यह मौका देने का काम किया है उसमें साथ देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया एवं श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्यगण द्वारा आसंदी की व्यवस्था हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 155 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(किसानों की उपज के भुगतान सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 4293) के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री मेवाराम जाटव के उत्तर से असंतुष्ट होकर धरने पर बैठने हेतु गर्भगृह में आए किन्तु आसंदी व डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा जिले के मनगवां नगर पंचायत शहरी बाजार की रोड़ ऑबी ओव्हर ब्रिज से मनगवां स्टेण्ड होते हुए जरहा पंचायत तक मार्ग अत्यंत खराब होने,
- (2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की ग्राम खोखरिया तह. जीरापुर जिला राजगढ़ निवासी की विद्युत करंट लगने से मृत्यु उपरांत प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि न मिलने,
- (3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य की प्रदेश में राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूट्रीकरण के समय बहुत सारे किसानों की भूमि स्वामित्व की जमीनें त्रुटिवश शासकीय दर्ज होने,
- (4) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य की कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन भूमि पर निर्माण कराये गये जलाशयों का सुधार कार्य एवं मरम्मत न कराये जाने,
- (5) श्री संजय यादव, सदस्य की जिला जबलपुर की बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना तिलवारा का भवन पूर्णतः जर्जर होने,
- (6) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की जौरा वि.ख. अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नल जल योजना हेतु बिजली की व्यवस्था न होने के कारण पानी सप्लाई न होने,
- (7) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की जिला धार तह. सरदारपुर में गुरु आश्रम गौसेवा गौशाला समिति के काबिज भूमि से स्थानीय अधिकारियों द्वारा बेदखल किये जाने,
- (8) श्री संजय उईके, सदस्य की बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों में आवागमन की सुविधा न होने,
- (9) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम विसानी स्थित कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य अपूर्ण होने तथा
- (10) श्री मनोज चावला, सदस्य की रतलाम जिले में अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं पर शासन द्वारा निःशुल्क डी.पी. लगाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) ग्वालियर में भू-माफियाओं द्वारा हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा किया जाना

सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा एवं कांतिलाल भूरिया, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि इंदौर में मुख्यमंत्री महोदय ने भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है किन्तु ग्वालियर में हजारों एकड़ भूमि पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है. उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

(2) सिवनी में नहर निर्माण कार्य के संबंध में कार्यवाही की जाना

श्री दिनेश राय, सदस्य ने उल्लेख किया कि सिवनी में नहर का निर्माण कार्य चालू है. लेकिन अब ठेकेदार काम बंद करके भाग गया है. उसको अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है. माननीय मंत्री जी ने जांच भी कराई, दो छोटे अधिकारी निलंबित किये हैं किन्तु बड़े अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है. मेल्टाना कंपनी है जिसमें कोई मैडम जुलानिया भी पार्टनर हैं. यह अनुरोध है कि उसकी जांच करा लें और माननीय मंत्री स्वयं आकर निरीक्षण कर लें.

(3) पथरिया में सीतानगर बांध के किसानों को सिंचित भूमि का मुआवजा दिया जाना

श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में सीतानगर बांध बन रहा है, जिसमें गरीब किसानों की सिंचित भूमि अधिग्रहित की गई लेकिन उनको असिंचित भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है. सरकार द्वारा उन्हें सिंचित भूमि का मुआवजा दिलाया जाए.

(4) नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट घर घर जाकर बनवाई जाना

श्री पी.सी. शर्मा, श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्यगण एवं डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री सहित अनेक सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि नगर निगम आगामी चुनाव संबंधी वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं. अतः निर्वाचन दलों द्वारा घर-घर जाकर व्यवस्थित रूप से वोटर लिस्ट बनवाई जाए.

(5) पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होना

श्री जितु पटवारी एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश में व्यापम की तरह पी.ई.बी. द्वारा 10 लोगों की गलत नियुक्तियां हुई हैं इस संबंध में दी गई ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार कर चर्चा कराएं. आसंदी ने सूचना देने वाले माननीय सदस्यगण को कक्ष में आकर चर्चा करने हेतु समझाईश दी.

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की मांग को लेकर असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(6) शहडोल जिले की पेपर मिल के अस्पताल की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने उल्लेख किया कि शहडोल जिले में पेपर मिल में जो श्रमिक अस्पताल चल रहा है वहां पर मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण श्रमिक परेशान हो रहे हैं. शासन समुचित व्यवस्था कराएं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

- (1) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने –
 - (क) छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा
 - (ख) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का 63 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, पटल पर रखे.
- (2) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने –
 - (क) एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2016-17,
 - (ख) इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र.मर्यादित का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2017-18 तथा
 - (ग) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2017-18, पटल पर रखे.
- (3) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 पटल पर रखे.

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तदनुसार -

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के तहत उपचार पूर्व टेस्ट की सुविधा न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि सर्वश्री बहादुर सिंह चौहान, देवेन्द्र वर्मा, सदस्यगण के अनुरोध पर भोपाल के बरखेड़ी खुर्द में अवैध कालोनी निर्माण संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण सूचना को आगामी कार्य दिवस में ली जायेगी।

(3) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने गुना जिले के राघोगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों को मुख्य सड़क मार्ग से न जोड़े जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(4) श्री सूवेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य ने मुरैना जिले के पहाड़गंज में पदस्थ बी.आर.सी.सी. के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया।
श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल शहर)
- (2) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
- (3) श्री अर्जुन सिंह काकोडिया (जिला-सिवनी)
- (4) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
- (6) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
- (7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
- (8) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
- (10) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
- (11) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
- (12) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (13) श्री वैजनाथ कुशवाह (जिला-मुरैना)
- (14) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (15) श्री तरवर सिंह (जिला-सागर)
- (16) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (17) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (18) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
- (19) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
- (20) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (21) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (22) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (23) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (24) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
- (25) श्री राज्यवर्द्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
- (26) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (27) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
- (28) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (29) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (30) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

- (31) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
- (32) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (33) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
- (34) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
- (35) श्री विशाल जगदीश पटेल (जिला-इंदौर)
- (36) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
- (37) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
- (38) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
- (39) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (40) श्री संजीव सिंह (जिला-भिण्ड शहर)
- (41) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
- (42) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
- (43) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
- (44) कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा) (जिला-छतरपुर)
- (45) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
- (46) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
- (47) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (48) श्रीमती सुनीता पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (49) श्री बापूसिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
- (50) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (जिला-जबलपुर)
- (51) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
- (52) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (53) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
- (54) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
- (55) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)

8. अध्यक्षीय घोषणा भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (2) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) पीठासीन हुए.

10. वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(3) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

- | | |
|--------------------|---|
| अनुदान संख्या - 13 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए चौदह हजार नौ सौ चालीस करोड़, अठहत्तर लाख, चौंसठ हजार रुपये, एवं |
| अनुदान संख्या - 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक सौ चौंसठ करोड़, बयालीस लाख, इक्कीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय. |

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- (1) श्री सचिन सुभाष यादव
- (2) श्री बहादुर सिंह चौहान
- (3) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
- (4) श्री जालम सिंह पटेल
- (5) श्री जितु पटवारी
- (6) श्री अनिरुद्ध माधव मारू
- (7) श्री तरवर सिंह
- (8) श्री श्यामलाल द्विवेदी
- (9) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

- (10) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
- (11) श्री वैजनाथ कुशवाह
- (12) श्री देवेन्द्र पटेल
- (13) श्री संजय यादव
- (14) श्री रामलाल मालवीय
- (15) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
- (16) श्री उमाकांत शर्मा
- (17) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
- (18) श्री बापू सिंह तंवर
- (19) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
- (20) श्रीमती सुनीता पटेल
- (21) श्री नीरज दीक्षित
- (22) श्री सुनील उडके

श्री कमल पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा किसान कल्याण मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर एवं किसानों की कर्ज माफी न करने की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(4) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

- | | |
|--------------------|--|
| अनुदान संख्या - 16 | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए एक सौ पंचानवे करोड़, बासठ लाख, सैंतीस हजार रुपये एवं |
| अनुदान संख्या - 23 | जल संसाधन के लिए छह हजार चार सौ चौंतीस करोड़, पैसठ लाख रुपये, तक की राशि दी जाय. |

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

- (1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
- (2) श्री हरिशंकर खटीक
- (3) श्री प्रियव्रत सिंह

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

- (4) श्री संजय शाह
- (5) श्रीमती झूमा सोलंकी
- (6) श्री दिनेश राय
- (7) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
- (8) श्री विक्रम सिंह (रामपुर बघेलान)
- (9) श्री बापू सिंह तंवर
- (10) श्री शिवनारायण सिंह
- (11) श्री तरवर सिंह
- (12) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
- (13) श्री प्रह्लाद लोधी
- (14) श्री जजपाल सिंह जज्जी
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021 (25 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 15 मार्च, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.